

कार्यकारी सार

अभियोजन आपराधिक कार्यवाही का आरम्भ है जहाँ सरकार एक अभियुक्त अपराधी व्यक्ति के विरुद्ध औपचारिक आरोपों को न्यायालय के प्रस्तुत प्रदर्शित करती है और अपराधी पर उचित दण्ड अथवा शास्ति लगाने की मांग करती है। इस प्रकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में अभियोजन कानूनी प्रक्रिया स्थापित करता है जिसके द्वारा सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन से सम्बन्धित कम्पनियों तथा व्यक्तियों को दण्ड सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी कि अभियोजन तथा शास्ति से सम्बन्धित प्रणालियां तथा प्रक्रियाएं पर्याप्त थीं और केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा पालन किया गया था। इस निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष निम्नवत हैं:-

- 5 कमिश्नरियों से ` 1.82 लाख की अल्प राशि वाले ग्यारह मामले 30 वर्षों से अधिक समय से विभिन्न न्यायालयों में अभियोजनाधीन हैं। (पैराग्राफ 2.4)
- लेखापरीक्षा ` 31.50 करोड़ के राजस्व निहितार्थ वाले 43 अभियोजन मामलों में लम्बन अवधि की पहचान नहीं कर सका क्योंकि विभाग शिकायत दायर करने की तारीख के ब्यौरे प्रदान करने में समर्थ नहीं था। (पैराग्राफ 2.4)
- 27 कमिश्नरियों में 138 अभियोजन मामलों में अभियोजन आरम्भ करने के लिए मुख्य आयुक्त की अनिवार्य संस्वीकृत प्राप्त करने के लिए जांच रिपोर्टें भेजने में एक माह से 10 वर्षों से अधिक के बीच विलम्ब हुए थे। (पैराग्राफ 2.6)
- चूँकि सम्बन्धित फाइलों में अभिलेख अनुपलब्ध थे, इसलिए 12 कमिश्नरियों के अधीन 61 मामलों में और डीजीसीईआई, मुम्बई के अधीन चार मामलों में लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सका कि जांच रिपोर्टें निर्धारित समय के अन्दर प्रस्तुत की गई थी अथवा नहीं। (पैराग्राफ 2.6)

- 37 कमिश्नरियों तथा डीजीसीईआई, दिल्ली से सम्बन्धित 175 मामलों में न्यायालयों में शिकायतें दायर करने में एक माह से 15 वर्षों तक का विलम्ब हुआ था। (पैराग्राफ 2.8)
- 46 चयनित कमिश्नरियों में से 30 कमिश्नरियों ने सूचित किया कि वे लम्बित अभियोजन मामलों की समीक्षा नहीं कर रहे हैं। (पैराग्राफ 2.9)
- विभागीय अधिकारियों द्वारा उचित ध्यान की कमी के कारण न्यायालय कार्यवाहियों में विलम्ब के उदाहरण देखे गए थे। (पैराग्राफ 2.10)
- 19 मामलों में जहाँ अभियोजन आरम्भ किया गया था, वहाँ किसी भी अभियुक्त व्यक्ति को समझौता प्रस्ताव के बारे में किसी ने भी लिखित में अलग से सूचना नहीं दी थी। (पैराग्राफ 2.12)
- 24 कमिश्नरियों में अभियोजन मामलों से सम्बन्धित महानिदेशक (जांच) रिपोर्टों में अभ्युक्तियां नहीं पाई गई थीं। (पैराग्राफ 2.14)
- बोर्ड के परिपत्र दिनांक 4 अप्रैल 1994 के अनुसार विभाग वापस लेने के लिए अभियोजन मामलों की समीक्षा नहीं कर रहा है। (पैराग्राफ 2.18)

सिफारिशें

- मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि क्षेत्रीय स्तर पर, मुख्य आयुक्तों के द्वारा, सभी लम्बे लम्बित अभियोजन मामलों की समीक्षा होती है, ऐसी समीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उन मामलों में, जिनमें शिकायत की वापसी न्यायोचित थी, न्यायालय को सन्तुष्ट करने के लिए की गई कार्रवाई पर्याप्त थी या नहीं।
- बोर्ड एमआईएस/मासिक तकनीकी रिपोर्टों, जिन्हें यह अपने क्षेत्रीय फार्मेशनों से प्राप्त करता है, के माध्यम से मुख्य कमिश्नरी स्तर पर अपने मानीटरन तन्त्र को सुदृढ़ करे।
- मंत्रालय आयुक्तों द्वारा आयोजित की जाने वाली मासिक मॉनीटरिंग समिति बैठकों के दौरान अभियोजनों के लम्बन पर चर्चा करने पर विचार करे। आज की तारीख में ऐसी बैठकें आन्तरिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए सभी कमिश्नरियों में नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं।

- बोर्ड अपने मामलों तथा अपने राजस्व पर सफल मानीटरन रखने के लिए अभियोजन मामलों तथा न्यायालयों से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करने के लिए कर्मियों के विशेष रूप से प्रशिक्षित समूह रखने पर विचार करे।
- बोर्ड को उन कारणों की विवेचनात्मक रूप से जांच करने और तदनुसार सुधार कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जिसके कारण न्यायिक अधिकारी स्पष्ट रूप से निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं कि मामला अभियोजन हेतु उचित है या नहीं।
- डीजीसीईआई तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मुख्य आयुक्तों द्वारा दिये जाने वाले अभियोजन के लिए अनुमोदन तथा अधीनस्थ क्षेत्रीय फार्मेशनों द्वारा इन अनुमोदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई के विषय पर बोर्ड व्यापक निर्देश जारी करने पर विचार करें।